

स्टेट हेल्थ एश्योरेन्स एजेन्सी
स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग सी-स्कीम, जयपुर

क्रमांक: एफ1008 (9)/एनएचएम/भामा.स्वा.बीमा/2015-16/115

दिनांक 29.01.2016


कार्यालय आदेश

भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के अर्न्तगत विभिन्न चिकित्सालयों के नोडल अधिकारियों एवं स्वास्थ्य मार्गदर्शको का प्रशिक्षण दिनांक 01.02.2016 से शुरू किया जा रहा है जिसका विस्तृत कार्यक्रम पत्र के साथ संलग्न किया जा रहा है। अतः सभी चिकित्सा संस्था प्रभारी सुनिश्चित करें कि उनकी संस्थान से भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना का नोडल अधिकारी एवं एक स्वास्थ्य मार्गदर्शक (जो संस्थान के अन्य मार्गदर्शको का प्रशिक्षण कराने में सक्षम हो) कार्यक्रम के अनुसार निर्धारित दिनांक एवं समय पर निम्नलिखित स्थान पर अपनी उपस्थिति प्रस्तुत करें :-

Computer Lab
Ground Floor B-Block
Directorate of Treasuries and Accounts
Vitt Bhavan, Vidhan Sabha Road, Lal Kothi
Jaipur (Raj)

सभी नोडल अधिकारी अपने संस्थान के बैंक A/C नम्बर एवं IFSC कोड के साथ इस कार्यलय से पत्र संख्या No.:F.1008 (9)DOHFW/SBY/UH/2015-16/83 दिनांक 13.01.2016 के द्वारा प्रेषित 3 प्रपत्रों में सूचना पूर्णरूप से भरकर साथ लावें एवं माइक्रो सॉफ्ट एक्सल में सूचना की सॉफ्ट प्रति भी आवश्यक रूप से ई-मेल (bsbyraj@gmail.com एवं bsbycsr@gmail.com) द्वारा भिजवाये।

संलग्न:- विस्तृत कार्यक्रम




(डॉ. नीरज के. पवन)
सी.ई.ओ.
स्टेट हेल्थ एश्योरेन्स एजेन्सी

क्रमांक: एफ1008 (9)/एनएचएम/भामा.स्वा.बीमा/2015-16/115

दिनांक : 29/01/16

प्रतिलिपि :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान।
2. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा, राजस्थान।
4. शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, राजस्थान।
5. विशिष्ट शासन सचिव एवं मिशन निदेशक, एनएचएम।
6. अतिरिक्त मिशन निदेशक, एनएचएम।
7. उपमहाप्रबन्धक न्यू इण्डिया एश्योरेन्स कम्पनी लि.
8. प्राचार्य मेडिकल कॉलेज, (समस्त)
9. अधीक्षक मेडिकल कॉलेज से सम्बन्धित अस्पताल, (समस्त)
10. जिला नोडल अधिकारी समस्त,
11. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (समस्त)
12. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी (समस्त)
13. सलाहकार, आई.एस.सी., एनएचएम।
14. सेन्ट्रल सर्वर रूम - ईमेल एवं अपलोड करने हेतु।
15. रक्षित पत्रावली।



सी.ई.ओ.
स्टेट हेल्थ एश्योरेन्स एजेन्सी